चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई ।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में थाना मऊ पुलिस टीम ने नाबालिक से बलात्कार कर फोटो,वीडियों वायरल कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि थाना मऊ निवासिनी एक वादिया द्वारा थाना मऊ पर सूचना दी कि शादी से पहले राममूरत यादव पुत्र चन्द्रशेखर यादव ने उन्हे शादी का झांसा देकर कई बार बलात्कार कर मोबाइल फोन से गन्दी फोटो व वीडियो बना ली थी। काफी समय के बाद शादी करने के लिए राममूरत से कहा,क्योंकि उनके पिता जी शादी के लिए रिश्ता खोज रहे थे, लेकिन राममूरत यादव ने गाली गलौज करते हुए धमकी दिया कि शादी नहीं करूँगा। उसके बाद दोनों के बीच कोई बात नही हुई। दिनाँक 18/04/2025 को वादिया की शादी घर वालो ने दूसरी जगह कर दी। शादी हो जाने बाद राममूरत यादव ने धमकी दी कि वह उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाए नहीं तो गन्दी फोटो और वीडियो वायरल कर देगा। राममूरत यादव उपरोक्त ने उन्हे खेत पर बुलाया और उनके साथ जबरदस्ती बलात्कार कर वीडियो और फोटो वायरल कर दिया। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 393/25 धारा 64(2)m,353(3),352 बीएनएस व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु प्रभारी निरीक्षक मऊ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

आज दिनाँक 16.12.2025 को प्रभारी निरीक्षक मऊ व उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त राममूरत यादव उपरोक्त को अहिरी बालापुर मोड़ थाना मऊ से गिरफ्तार किया गया।अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद मोबाइल,210 रुपए बरामद हुए। मोबाइल को चेक किया गया तो कोई साक्ष्य फोटो,वीडियों घटना से सम्बन्धित नही मिला। विवेचना के क्रम में माननीय न्यायालय के समक्ष पीडिता के बयान अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस व मेडिकल आदि के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में 5L/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्ग विजय सिंह

2.आरक्षी दुर्गेश नंदन

3.आरक्षी चालक प्रभात दुबे

(3). आज दिनांक 16.12.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह द्वारा पुलिस लाइन में मंगलवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया तथा स्वास्थ्य के लाभ के लिए परेड से दौड़ लगवायी गयी तथा व्यायाम कराये गये। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिसकर्मियों की ड्रिल का निरीक्षण किया बाद निरीक्षण बारी - बारी ड्रिल करवाकर ड्रिल व शस्त्रों के बारे में बताया गया साथ ही आर0टी0सी0 कर रहे रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण में अनुशासन बनाए रखने हेतु प्रतिसार निरीक्षक आवश्यक आदेश निर्देश दिए तत्पश्चात पुलिस लाइन का भ्रमण कर क्वार्टर गार्द में सलामी ली गई तथा परिवहन शाखा, बैरिक, सीपीसी कैन्टीन,पुलिस मेस,स्टोर रूम का निरीक्षण कर को जल्द से जल्द सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। तत्पश्चात अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा कर्मचारीगणों को अर्दली रुम किया गया।

(4). अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सुरक्षा और सुविधाओं की समीक्षा हेतु वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पंजियों की जांच, स्टाफ

की उपस्थिति, सुविधाएं (काउंसलिंग, मेडिकल, पुलिस सहायता) को देखा गया और साफ-सफाई हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी द्वारा आज दिनाँक 16.12.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 19/2011 धारा 279,304ए भादवि0 के आरोपी अभियुक्त जगतपाल पटेल पुत्र मुन्ना प्रसाद निवासी मछरिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 02 वर्ष का साधारण कारावास व कुल 11000/- रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री कैलाशनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा अ0स0 343/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त नफीस अली उर्फ छोटा मुन्ना पुत्र अहमद खां निवासी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री कैलाशनाथ यादव
2. आरक्षी विवेक कुमार
3. आरक्षी दीप कुमार

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह के मार्गदर्शन एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बृजबिहारी तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री उ0नि0 श्री प्रभुनाथ यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री नीरज श्रीवास्तव द्वारा आज दिनाँक 16.12.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 126/2018 धारा 323,506 भा0द0वि0 के आरोपी अभियुक्त अनिल तिवारी पुत्र संतोष तिवारी निवासी रुपौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 4,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(8) आज दिनांक 16.12.2025 को साइबर क्राइम मुख्यालय के निर्देशानुसार साइबर अपराधों की रोकथाम,साइबर प्रशिक्षण, साइबर जागरुकता एवं साइबर सुरक्षा को सुदृढ बनाये रखने हेतु पुलिस अक्षीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में साइबर क्राइम एक्सपर्ट श्री रक्षित टण्डन द्वारा जनपद के साइबर नोडल राजपत्रित अधिकारी व समस्त थानें/साइबर सेल/साइबर थाना के कर्मचारियों को पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में ऑनलाइन साइबर प्रशिक्षण गूगल मीट लिंक के माध्यम से प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण में साइबर अपराधों के नवीनतम तरीकों (WORK FROM HOME, APK FILE), ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया फ्रॉड, बैंकिंग/डिजिटल पेमेंट से संबंधित अपराध, फिशिंग, साइबर हैकिंग, डेटा सुरक्षा तथा तकनीकी साक्ष्यों के संकलन एवं विश्लेषण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साइबर क्राइम एक्सपर्ट श्री रक्षित टण्डन द्वारा साइबर अपराधों की त्वरित पहचान, पीड़ितों को समयबद्ध सहायता, एनसीआरपी पोर्टल के प्रभावी उपयोग, डिजिटल ट्रेल ट्रैकिंग एवं विवेचना के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। साथ ही साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु आमजन को जागरूक करने के उपायों पर भी चर्चा की गई।
प्रशिक्षण के दौरान एसओजी/सर्वेलांश प्रभारी निरीक्षक श्री एमपी त्रिपाठी,उ0नि0 श्री रामबाबू शर्मा चौकी खोह थाना कर्वी ,उ0नि0 श्रीअखिलेश यादव थाना रैपुरा ,उ0नि0 श्री अभिषेक चौकी भैसोंधा,साइबर सेल,साइबर थाना,सर्वेलांश एवं समस्त थानों के साइबर हेल्पडेस्क पर नियुक्त कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

(9).जिलाधिकारी श्री पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में व पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में पौष मास की अमावस्या मेला के संबंध में बैठक कलेक्ट सभागार में संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि पौष मास की अमावस्या मेला 18 दिसंबर से 20 दिसंबर 2025 तक रहेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि पौष मास की अमावस्या मेला को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु 3 जोन व 10 सेक्टर में विभाजित किया गया है, जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट/ जोनल मजिस्ट्रेट व रिजर्व मजिस्ट्रेट नामित किए गए हैं। जो संपूर्ण मेला क्षेत्र में अपने अपने निर्धारित स्थलों पर तैनात रहकर मेला व्यवस्था को सकुशल संपन्न कराएंगे। उन्होंने मेला में लगाए गए मजिस्ट्रेटों से कहा कि पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर अपने-अपने तैनाती स्थलों पर उपस्थित रहकर शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए मेला को सकुशल संपन्न कराएं। बैठक में जिलाधिकारी ने जिला आबकारी को निर्देशित किया कि मेला क्षेत्र में मादक पदार्थ प्रतिबंधित रहना चाहिए। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि तत्परता के साथ दुकानों पर छापामारी करते रहे जिससे की मिलावट नहीं होने पाए। जिलाधिकारी ने पर्यटन अधिकारी को निर्देशित किया की परिक्रमा मार्ग में जो खुदाई हुई है उसे सही कराएं एवं साथ ही साथ मालवा को भी हटाए। कहा कि सामुदायिक शौचालय परिक्रमा मार्ग में बने हैं जिसकी अच्छी साफ सफाई के साथ शौचालय में ताला नहीं लगना चाहिए। उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कर्वी निर्देशित किया कि नाइट शिफ्ट में भी कूड़े उठाने की वाहन को भी चलाएं।उन्होंने अधिशासी अधिकारी पालिका परिषद कर्वी , जिला पंचायत राज अधिकारी से कहा कि पूरे मेला क्षेत्र में साफ सफाई तथा गोवंश वहां पर न जाने पाए की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि रामघाट व परिक्रमा पथ पर साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। कहा कि लाइट की व्यवस्था अच्छी रहे जहां पर जनरेटर की आवश्यकता हो वहां पर जनरेटर भी रखवा जाएं, रामघाट एवं परिक्रमा मार्ग पर सीसीटीवी कैमरा, रामघाट एवं परिक्रमा मार्ग पर दुकानदारों द्वारा किसी भी तरह का अतिक्रमण न होने पाए मोबाइल शौचालय की व्यवस्था रहे। चिकित्सा विभाग पूर्व की भांति एंबुलेंस एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम को लगाएं। उन्होंने जल संस्थान से कहा कि श्रद्धालुओं को देखते हुए टैंकर आदि के माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। अधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देशित किया कि विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त कर ले जहां पर तार खंभे लटके हुए हो तो ठीक करा ले। उन्होंने विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि मेला के दौरान निर्बाध

रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराएं। अधिशासी अभियंता सिंचाई को निर्देश दिए कि पूर्व की भांति मां मंदाकिनी गंगा रामघाट में घाट की समुचित साफ-सफाई डूबने से बचाव हेतु बैरिकेडिंग गोताखोर नाव आदि संबंधी आवश्यक व्यवस्थाएं कराएं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर, यातायात प्रभारी भ्रमणशील रहकर यातायात संबंधी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखें टैक्सी टेंपो में अधिक सवारी लेकर न जाने पाए एवं रिक्शा व अन्य प्रमुख जगहों पर रेट लिस्ट भी लगाए। जिलाधिकारी ने कहा कि कोहरे का प्रभाव बढ़ गया है सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी व माइनिंग ऑफिसर ट्रैकों के संचालन के विशेष ध्यान दें, उन्होंने कहा कि ट्रैकों पर रेडियम रिफ्लेक्टर आदि लगवाए जिससे की दुर्घटना से बचा जा सके। मेला के दौरान भीड़ को देखते हुए समुचित पार्किंग व्यवस्था कराई जाए ताकि मेला क्षेत्र में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। जिलाधिकारी ने पुलिसकर्मियों से कहा कि रेलवे स्टेशन में भीड़ अधिक होती है वहां पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाएं इसके साथ ही बस स्टैंड टेंपो स्टैंड एवं पूरे मेला क्षेत्र में भी पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं ताकि मेला को सकुशल संपन्न कराया जा सके।

बैठक में संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।